राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर ।

:: आ दे श ::

सुखराम उर्फ सुखलाल वगैरा। बनाम् राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर वगैरा।

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-5399 / 1994
अन्तर्गत अनुच्छेद 226 व 227 भारतीय संविधान.

<u>आदेश दिनांक-</u> **दिसम्बर 19, 2006**

उ प स्थि त
<u>माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा</u>

श्री अमृत सुरोलिया, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण।
श्री एम.एल. गोयल, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।
श्री बिहारी लाल अग्रवाल, अधिवक्ता वास्ते प्रतिपक्षी क्रम-3.

न्यायालय द्वारा-

(1)इस प्रकरण में इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है कि सुखराम उर्फ सुखलाल (प्रार्थी संख्या-1) ने 46 बीघा 4 बिस्वा भूमि जहूर अली (प्रतिपक्षी क्रम-3) से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक-30.5.1961 क्रय की थी और उक्त तिथि से ही प्रार्थी सुखराम उर्फ सुखलाल उस भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में भी उसके नाम दर्ज हो गई है। इसी प्रकार सुखराम उर्फ सुखलाल के भाई रामदेव, जिसकी मृत्यु हो चुकी है ने भी जहूर अली (प्रतिपक्षी क्रम-3) से 46 बीघा 5 बिस्वा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक- 09.8.1961 क्रय की थी एवं रामदेव के पुत्र मांगी लाल व मौती लाल (प्रार्थी संख्या- 2 व 3) जीवित है तथा उक्त भूमि पर उक्त तिथि से ही काबिज चले आ रहे हैं। राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग अधिनियम,1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत जहूर अली (प्रतिपक्षी सं.3) ने प्रार्थीगण को विक्रय की गई भूमि को अधिग्रहण हेतु समर्पित कर दिया जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अति. जिलाधीश, बून्दी के समक्ष उज्रदारी प्रस्तुत की, जो अति.जिलाधीश (प्रशासन) बून्दी ने आदेश दिनांक- 11.9.1991 द्वारा निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्व प्रार्थीगण ने राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो राजस्व मण्डल, अजमेर ने भी निर्णय दिनांक- 16.8.1993 द्वारा निरस्त कर दी। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्षों को प्रार्थीगण ने इस रिट याचिका में चुनौती दी है।

(2)उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों

को सुना गया तथा अभिलेख का गहनता पूर्वक परीक्षण किया गया।

(3)विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने मेरा ध्यान-**गुमानी शंकर बनाम् राजस्थान राज्य वगैरा।** (2006(1)WLC Raj. Page-346) न्यायिक दृष्टान्त की ओर आकर्षित किया। अभिलेख के गहन परीक्षण के उपरान्त मैं, इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं कि जिस भूमि का विक्रय प्रार्थीगण को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्रों के कर दिया गया था उसे राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग अधिनियम,1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिग्रहित नहीं किया जा सकता था। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस विधिक स्थिति पर गौर नहीं किया है और मेरे निश्चित मत में अति. जिलाधीश, बून्दी व राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णयों को विधि अनुकूल नहीं कहा जा सकता। राजस्व मण्डल, अजमेर का आक्षेपित निर्णय में दिया गया यह निर्देश भी कि प्रार्थीगण को विक्रय की गई भूमि में से 30 बीघा 18 बिस्वा भूमि अधिग्रहित की जावेगी, अवैध है।

(4)परिणामत: यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। अति.जिलाधीश (प्रशासन), बून्दी का आदेश दिनांक-11.9.1991 एवं राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर का निर्णय दिनांक- 16.8.1993 अपास्त किए जाते हैं तथा यह निर्देश दिया जाता है कि प्रार्थीगण को विक्रय की गई भूमि के सम्बन्ध में प्रतिपक्षीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगें। रिट याचिका का व्यय पक्षकार स्वयं अपना-अपना वहन करेगें।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)

एमसीएस